सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 753 राँची, शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

18 सितम्बर, 2019

संख्या-06/उप.फो.-(नियुक्ति नियमावली)-05/2018-खा.आ.-2760-- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 का 68) की धारा 30 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में और धारा 10(1)(a), 10(1)(b), 10(3), 16(1)(a), 16(1)(b) एवं 16 (2) को प्रभावी करने के लिए इस प्रकार नियमावली गठित की जाती है:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

I. इस नियमावली का नाम ''झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और शर्ते नियमावली, 2019'' होगा।

II. यह नियमावली ''झारखण्ड राजपत्र''/ई-गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2. परिभाषाएँ :

इस नियमावली में जबतक की प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो -

I. 'अधिनियम' से अभिप्रेत है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68),

II. 'राज्य आयोग' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (b) के तहत स्थापित झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग,

III. 'जिला फोरम' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 9 का खण्ड (a) के तहत स्थापित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम,

IV. 'सदस्य' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा-10 की उप धारा (1) (b) के तहत नियुक्त जिला फोरम का सदस्य अथवा अधिनियम की धारा-16 की उप धारा (1) (b) के तहत नियुक्त राज्य आयोग का सदस्य, जैसा भी मामला हो,

V. 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा-10 की उप धारा (1) (a) के तहत नियुक्त जिला फोरम का अध्यक्ष अथवा अधिनियम की धारा-16 की उप धारा (1) (a) के तहत नियुक्त राज्य आयोग का अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो,

VI. 'चयन समिति' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा-10 (1A) या 16 (1A) के तहत गठित चयन समिति, जैसा भी मामला हो,

VII. राष्ट्रीय आयोग से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली,

VIII. 'धारा' से अभिप्रेत है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा,

IX. 'राज्य' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य,

X. 'विभाग से अभिप्रेत है, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची,

XI. इस नियमावली में इस्तेमाल किये गये वैसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं किये गये हैं, लेकिन अधिनियम में परिभाषित किये गये हैं उनका अर्थ क्रमशः अधिनियम के अनुसार ही होगा।

3. जिला फोरम में नियुक्तियाँ :

I. जिला फोरम के अध्यक्ष की नियुक्ति या तो (क) सीधी नियुक्ति के द्वारा या (ख) सेवारत जिला न्यायाधीशों में से प्रतिनियुक्ति पर की जायेगी। बशर्ते कि सेवारत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय की सहमति के बिना नहीं किया गया हो।

II. उपर्युक्त उप नियम-(I) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत यदि विभाग चाहे तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के कार्य को एक सेवारत जिला न्यायाधीश को अतिरिक्त प्रभार प्रदान कर व्यवस्थित किया जा सकता है, इसके लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से ऐसा किया जा सकता है।

III. जिला फोरम के सदस्यों को पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जायेगा।

IV. वैसे जिला फोरम जहाँ वर्ष की शुरूआत में लंबित शिकायतों की संख्या 1000 से अधिक हो अथवा विगत तीन वर्षों में दर्ज शिकायतों की औसत संख्या 1000 से अधिक हो वहाँ राज्य सरकार द्वारा एक अतिरिक्त जिला फोरम स्थापित किया जा सकता है।

V. इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुपालन में कार्य करने या कार्य करने के दौरान अध्यक्ष और सदस्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा-21 के संदर्भ में लोक सेवक माने जायेंगे।

4. राज्य आयोग में नियुक्तियाँ :

I. राज्य आयोग के अध्यक्ष को पूर्णकालिक आधार पर या उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को अतिरिक्त प्रभार प्रदान कर अंशकालिक रूप से व्यवस्थित किया जा सकता है। बशर्ते कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

II. राज्य आयोग के सदस्यों को या तो (क) सीधी नियुक्ति या (ख) सरकारी कर्मचारियों के बीच प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जायेगा, जो पद धारण करने के योग्य हो। बशर्ते सेवारत न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय की सहमति के बिना नहीं की जायेगी।

III. इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुपालन में कार्य करने या कार्य करने के दौरान अध्यक्ष और सदस्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा-21 के संदर्भ में लोक सेवक माने जायेंगे।

5. जिला फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन :

I. जिला फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित मामलों की कार्रवाई की शुरूआत राज्य आयोग के द्वारा की जायेगी। राज्य आयोग द्वारा पदों के रिक्त होने से कम से कम छः माह पूर्व कोटिवार रिक्ति की सूचना उपलब्ध कराने के पश्चात् विभाग द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

II. पदों के रिक्त होने से कम से कम छः माह पूर्व विभाग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

III. यदि कोई पद अध्यक्ष या सदस्य के इस्तीफे या मृत्यु के कारण रिक्त होता है या किसी नये पद का सृजन होता है तो इसके भरने की प्रक्रिया तुरन्त प्रारम्भ की जायेगी।

IV. रिक्तियों के संबंध में योग्य उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा। अध्यक्ष एवं सदस्य के पदों की योग्यता अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत ही होंगी।

V. अधिनियम की धारा-10 की उप धारा-(1A) के तहत गठित समिति के द्वारा जिला फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्य का चयन किया जायेगा।

VI. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी कर योग्य उम्मीदवारों की सूची चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी।

VII. चयन समिति आवेदकों की सूची को निम्नांकित तरीके से शॉर्ट-लिस्ट करेगीः-

(a) अध्यक्ष पद के लिए आवेदक न्यायिक पृष्ठभूमि के होते हैं, अतः उनके द्वारा पारित न्यायिक निर्णयों एवं अन्य न्यायिक आदेशों के आलोक में आवेदकों का चयन अधिकतम 100 अंक के आधार पर करने के लिए निम्नलिखित आधार होंगे (राज्य आयोग के अध्यक्ष व विधि विभाग के प्रधान सचिव/सचिव ये अंक प्रदान करेंगे) :-

(i) संबंधित उच्च न्यायालय से प्राप्त वार्षिक गोपनीय अभियुक्ति।

(ii) आवेदक द्वारा समर्पित दो सिविल तथा दो क्रिमिनल निर्णय।

(iii) जिला सत्र न्यायाधीश/प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव।

(b) सदस्य पद के लिए सेवानिवृत पदाधिकारी का चयन अधिकतम 100 अंक के आधार पर करने के लिए निम्नलिखित आधार होंगे:-

(i) आवेदक द्वारा स्नातक में प्राप्तांक-प्रतिशत का 25% (पचीस प्रतिशत) अंक (अर्थात् अधिकतम 25 अंक)।

(ii) स्नातकोतर उपाधि के लिए 15 अंक।

(iii) Ph.D. की उपाधि के लिए 5 अंक।

(iv) खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड अथवा झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग अथवा झारखण्ड के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में (राज्य आयोग/जिला फोरम के संबंध में अध्यक्ष/सदस्य से इतर) किसी भी पद पर न्यूनतम एक वर्ष के कार्यानुभव पर 5 अंक।

(v) इसके अलावे 50 अंक न्यूनतम दस वर्ष के कार्यानुभव के आधार पर दिये जायेंगे जिसके लिए आधार होगा:-

(क) यदि केन्द्र सरकार के राजपत्रित पदाधिकारी के रूप में कार्य किये हों तो - 50 अंक।

(ख) यदि राज्य सरकार के राजपत्रित पदाधिकारी के रूप में कार्य किये हो तो - 50 अंक।

(ग) यदि केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र इकाई में कार्य किये हो तो-40 अंक।

(घ) यदि राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र इकाई में या झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग/जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में कार्य किये हो तो - 40 अंक।

(ड़) यदि अन्य किसी सेवा/पद/श्रेणी में कार्य का अनुभव हो तो - 20 अंक।

(च) उपर्युक्त उप कंडिका 'क' से 'ड.' तक में से अधिकतम दस वर्ष के कार्यानुभव का ही लाभ दिया जा सकता है।

(छ) संदर्भित उप कंडिका में 10 से भाग देकर प्रति वर्ष के कार्यानुभव के आलोक में अंक प्रदान किये जा सकेंगे।

(c) सेवारत/सेवानिवृत पदाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में सदस्य पद के लिए अग्रवत योजना के अनुसार दो प्रश्न पत्रों के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट तैयार किया जायेगा। प्रत्येक पत्र के लिए उत्तीर्णता अंक प्रतिशत 50% होगा:-

पेपर	**विषय**	**जाँच की प्रकृति**	**अधिकतम अंक**	**अवधि**
पेपर-1	(क) सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी। (ख) भारतीय संविधान का ज्ञान। (ग) उपभोक्ता से संबंधित विभिन्न कानूनों का ज्ञान (अनुसूची-। में वर्णित)	वस्तुनिष्ठ	100	2 घण्टे
पेपर-2	(क) एक निबंध (उपभोक्ता संबंधित विषय, व्यापार व वणिज्य संबंधित विषय या सार्वजनिक मामले से संबंधित विषय में से कोई एक) (ख) विश्लेषण की क्षमताओं और ऑर्डर के ठोस आलेखन की जाँच के लिए उपभोक्ता मामले से संबंधित एक केस का अध्ययन।	विषयनिष्ठ	100	3 घण्टे

VIII. अध्यक्ष या सदस्य के मेरिट के क्रम में चयन समिति के द्वारा रिक्तियों के डेढ़ गुणा उम्मीदवारों के नाम की अनुशंसा विभाग को की जायेगी।

IX. अनुशंसित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन विभाग द्वारा किया जायेगा।

X. नियुक्ति के पूर्व चयनित उम्मीदवारों को सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत शारीरिक स्वच्छता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

XI. नियुक्ति से पूर्व चयनित उम्मीदवार को यह घोषणा पत्र जमा करना होगा कि वह ऐसा कोई वित्तीय या अन्य रूचि नहीं रखता है जिससे कि अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपने कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

XII. मेधा सूची में से प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार भी रखे जा सकते हैं ताकि अचानक हुयी रिक्तियों के परिपेक्ष्य में विभाग के द्वारा इनसे नियुक्ति की जा सके।

6. राज्य आयोग के अध्यक्ष का चयनः

I. राज्य आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने से कम से कम छः माह पूर्व विभाग द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। इसके लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।

II. यदि अध्यक्ष के इस्तीफा या मृत्यु के कारण पद रिक्त होता है या किसी नये पद का सृजन होता है तो भत्र्ती की प्रक्रिया तुरन्त प्रारम्भ की जायेगी।

III. राज्य आयोग के अध्यक्ष के चयन हेतु अधिनियम की धारा-16 की उप धारा-(1) (a) के तहत गठित समिति के द्वारा चयन प्रक्रिया के माध्यम से योग्यता और अनुभव के आधार पर उपयुक्तता का आकलन करने के बाद विभाग को अनुशंसित किया जायेगा।

IV. उन्हीं उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा जिनके संबंध में निगरानी से स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ होगा।

V. इसके उपरान्त अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के उपरान्त विभाग द्वारा राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी।

VI. नियुक्ति के पूर्व चयनित उम्मीदवार को सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत शारीरिक स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

VII. नियुक्ति से पूर्व चयनित उम्मीदवार को यह घोषणा पत्र जमा करना होगा कि वह ऐसा कोई वित्तीय या अन्य रूचि नहीं रखता है जिससे कि अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपने कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

7. राज्य आयोग के सदस्य का चयनः

I. राज्य आयोग के सदस्य पद के रिक्त होने से कम से कम छः माह पूर्व नियुक्ति से संबंधित मामलों की कार्रवाई की शुरूआत राज्य आयोग के द्वारा की जायेगी। राज्य आयोग द्वारा कोटिवार रिक्ति की सूचना उपलब्ध कराने के पश्चात् विभाग द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

II. यदि सदस्य के इस्तीफे या मृत्यु के कारण पद रिक्त होता है या किसी नये पद का सृजन होता है तो भर्ती की प्रक्रिया तुरन्त प्रारम्भ की जायेगी।

III. रिक्तियों के संबंध में योग्य उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने के लिए मुख्य समाचार पत्रों में विभाग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।

IV. अधिनियम की धारा-16 की उप धारा-(1A) के तहत गठित समिति के द्वारा राज्य आयोग के सदस्य का चयन किया जायेगा।

V. आवेदन प्राप्त होने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी कर योग्य उम्मीदवारों की सूची चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी।

VI. चयन समिति आवेदकों की सूची को निम्नांकित तरीके से शॉर्ट-लिस्ट करेगीः-

(a) न्यायिक पृष्ठभूमि वाले सदस्य पद के लिए आवेदक न्यायिक पृष्ठभूमि के ही होते है, अतः उनके द्वारा पारित न्यायिक निर्णयों एवं अन्य न्यायिक आदेशों के आलोक में आवेदकों का चयन अधिकतम 100 अंक के आधार पर करने के लिए निम्नलिखित आधार होंगे (राज्य आयोग के अध्यक्ष व विधि विभाग के प्रधान सचिव/सचिव ये अंक प्रदान करेंगे):-

(i) संबंधित उच्च न्यायालय से प्राप्त वार्षिक गोपनीय अभियुक्ति।

(ii) आवेदक द्वारा समर्पित दो सिविल तथा दो क्रिमिनल निर्णय।

(iii) पीठासीन पदाधिकारी/जिला सत्र न्यायाधीश/प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव।

(b) सदस्य पद के लिए चयन अधिकतम 100 अंक के आधार पर करने के लिए निम्नलिखित आधार होंगे:-

(i) आवेदक द्वारा स्नातक में प्राप्तांक-प्रतिशत का 25% (पचीस प्रतिशत) अंक (अर्थात् अधिकतम 25 अंक)।

(ii) स्नातकोतर उपाधि के लिए 15 अंक।

(iii) Ph.D. की उपाधि के लिए 5 अंक।

(iv) खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड अथवा झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग अथवा झारखण्ड के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में (राज्य आयोग/जिला फोरम के संबंध में अध्यक्ष/सदस्य से इतर) किसी भी पद पर न्यूनतम एक वर्ष के कार्यानुभव पर 5 अंक।

(v) इसके अलावे 50 अंक न्यूनतम दस वर्ष के कार्यानुभव के आधार पर दिये जायेंगे जिसके लिए आधार होगा:-

(क) यदि केन्द्र सरकार के राजपत्रित पदाधिकारी के रूप में कार्य किये हों तो - 50 अंक।

(ख) यदि राज्य सरकार के राजपत्रित पदाधिकारी के रूप में कार्य किये हो तो - 50 अंक।

(ग) यदि केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र इकाई में कार्य किये हो तो-40 अंक।

(घ) यदि राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र इकाई में या झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग/जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में कार्य किये हो तो - 30 अंक।

(ड़) यदि अन्य किसी सेवा/पद/श्रेणी में कार्य का अनुभव हो तो-20 अंक।

(च) उपर्युक्त उप कंडिका 'क' से 'ड.' तक में से अधिकतम दस वर्ष के कार्यानुभव का ही लाभ दिया जा सकता है।

(छ) संदर्भित उप कंडिका में 10 से भाग देकर प्रति वर्ष के कार्यानुभव के आलोक में अंक प्रदान किये जा सकेगें।

VII. सदस्य के मेरिट के क्रम में चयन समिति के द्वारा उम्मीदवारों के नाम की अनुशंसा विभाग को की जायेगी।

VIII. अनुशंसित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन विभाग द्वारा किया जायेगा।

IX. नियुक्ति के पूर्व चयनित उम्मीदवार को सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत शारीरिक स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

X. नियुक्ति से पूर्व चयनित उम्मीदवारों को यह घोषणा पत्र जमा करना होगा कि वह ऐसा कोई वित्तीय या अन्य रूचि नहीं रखता है जिससे कि अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपने कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है।

XI. मेधा सूची में से प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार भी रखे जा सकते हैं ताकि अचानक हुयी रिक्तियों के परिपेक्ष्य में विभाग के द्वारा इनसे नियुक्ति की जा सके।

8. जिला फोरम में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन/पारिश्रमिक :

I. यदि किसी सेवारत जिला न्यायाधीश को जिला फोरम के अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्ति किया जाता है तो उन्हें जिला न्यायाधीश के अनुरूप वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे।

II. यदि किसी सेवानिवृत जिला न्यायाधीश को जिला फोरम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उन्हें प्राप्त अंतिम वेतन घटाव पेंशन के समतुल्य राशि नियत मानदेय के रूप में अनुमान्य होगी।

III. जिला फोरम में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त सदस्य को राज्य सरकार के अवर सचिव को प्राप्त होने वाले न्यूनतम वेतनमान् की एकमुश्त राशि प्राप्त होगी। वर्तमान में राज्य सरकार में अवर सचिव वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 के पदाधिकारी होते हैं। इसके आलोक में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में नियुक्त पूर्णकालिक सदस्यों को रू॰ 67,700/- (रूपये सड़सठ हजार सात सौ) मात्र की राशि पारिश्रमिक के रूप में एकमुश्त मासिक प्रदेय होगी।

IV. यदि किसी सेवानिवृत सरकारी कर्मी (न्यायिक सेवा को छोड़कर) को जिला फोरम के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उन्हें योजना-सह-वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1243/वि॰, दिनांक 28.04.2016 (यथासमय संशोधित) के प्रावधानों के अनुरूप वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

V. पूर्णकालिक तौर पर नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों के पारिश्रमिक राशि में विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिकतम 3 (तीन) प्रतिशत की वृद्धि योजना-सह-वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त की जायेगी।

VI. अतिरिक्त प्रभार के रूप में हुयी नियुक्तियों के संबंध में यात्रा भत्ता का भुगतान इससे संबंधित योजना-सह-वित्त विभाग के प्रावधानों (यथासमय संशोधित) के अनुरूप किया जायेगा।

9. जिला फोरम में अतिरिक्त प्रभार पर नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों के पारिश्रमिकः

अतिरिक्त प्रभार के रूप में हुयी नियुक्तियों के संबंध में यात्रा भत्ता का भुगतान इससे संबंधित योजना-सह-वित्त विभाग के प्रावधानों (यथासमय संशोधित) के अनुरूप किया जायेगा।

10. राज्य आयोग में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन/पारिश्रमिक:

I. राज्य आयोग के अध्यक्ष को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को स्वीकार्य वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएँ प्राप्त होंगी। परन्तु यदि किसी सेवानिवृत न्यायाधीश को राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उन्हें प्राप्त अंतिम वेतन घटाव पेंशन के समतुल्य राशि नियम मानदेय के रूप में अनुमान्य होगी।

II. राज्य आयोग में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त सदस्य को राज्य सरकार के उप सचिव को प्राप्त होने वाले न्यूनतम वेतनमान की एकमुश्त राशि प्राप्त होगी। वर्तमान में राज्य सरकार में उप सचिव वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 के पदाधिकारी होते हैं। इसके आलोक में झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राँची में नियुक्त पूर्णकालिक सदस्यों को रू॰ 78,800/- (रूपये अठहत्तर हजार आठ सौ) मात्र की राशि पारिश्रमिक एकमुश्त मासिक प्रदेय होगी।

III. यदि किसी सेवानिवृत सरकारी कर्मी (न्यायिक सेवा को छोड़कर) को राज्य आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उन्हें योजना-सह-वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1243/वि॰, दिनांक 28.04.2016 (यथासमय संशोधित) के प्रावधानों के अनुरूप वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

IV. पूर्णकालिक तौर पर नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों के पारिश्रमिक राशि में विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिकतम 3 (तीन) प्रतिशत की वृद्धि योजना-सह-वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त की जायेगी।

11. राज्य आयोग में अतिरिक्त प्रभार पर नियुक्त सदस्यों के पारिश्रमिकः

अतिरिक्त प्रभार के रूप में हुयी नियुक्तियों के संबंध में यात्रा भत्ता का भुगतान इससे संबंधित योजना-सह-वित्त विभाग के प्रावधानों (यथासमय संशोधित) के अनुरूप किया जायेगा।

12. पूर्णकालिक नियुक्तियों के लिए अवकाश एवं चिकित्सा उपचार की सुविधाएँ :

राज्य आयोग या जिला फोरम में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त अध्यक्ष/सदस्य को राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू प्रावधानों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश प्रदेय होगा। इसके अतिरिक्त के अवकाश के लिए ''नो वर्क नो पे'' का सिद्धान्त अनुमान्य होगा। इसके साथ ही उन्हें राज्य सरकार के समूह-A के सरकारी पदाधिकारियों के लिए लागू प्रावधानों के अनुरूप चिकित्सा उपचार एवं अस्पताल की सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

13. राज्य आयोग एवं जिला फोरम में कार्य कर रहे अध्यक्ष/सदस्य का वेतन/पारिश्रमिक आदि राज्य सरकार के संचित निधि पर भारित होगा।

14. राज्य आयोग एवं जिला फोरम के अध्यक्ष या सदस्यों की सेवा के नियम एवं शत्तों को उनके कार्यकाल के दौरान इस प्रकार से नहीं बदले जायेगें जिससे कि उन्हें हानि हो।

15. राज्य आयोग एवं जिला फोरम में कार्य कर रहे अध्यक्ष/सदस्य को निम्नलिखित परिस्थितियों में विभाग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है:

I. यदि उन्हें दिवालिया घोषित किया गया हो या

II. उन्हें किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो या

III. अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गये हो या

IV. ऐसा वित्तीय या अन्य हित हासिल किया गया हो जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके कार्यों को पूर्वाग्रह से प्रभावित करने की संभावना हो या

V. जिसने अपने पद का ऐसा दुरूपयोग किया हो जिससे उसके पद पर बना रहना लोकहित में प्रतिकूल हो या

VI. अवकाश के बिना या उसके नियंत्रण से परे कारणों के अलावा लगातार तीन कार्य-बैठक में अनुपस्थित रहा हो।

VII. उपर्युक्त में निहित कुछ भी होने के बावजूद राज्य आयोग के अध्यक्ष को इस उप नियम के खण्ड (IV) (V) एवं (VI) में वर्णित परिस्थितियों के आलोक में अपने पद से तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा जाँच करने के उपरान्त दोषी नहीं ठहराया जाता और इन आरोपों के संबंध में उन्हें सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाता।

VIII. उपर्युक्त में निहित कुछ भी होने के बावजूद राज्य आयोग के सदस्य तथा जिला फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्य को इस उप नियम के खण्ड (IV) (V) एवं (VI) में वर्णित परिस्थितियों के आलोक में अपने पद से तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित, राष्ट्रीय आयोग के एक सदस्य द्वारा जाँच करने के उपरान्त दोषी नहीं ठहराया जाता और इन आरोपों के संबंध में उन्हें सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाता।

16. झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के संदर्भित पदों हेतु आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे।

17. विभागीय संकल्प संख्या-184, दिनांक 16.01.2016 द्वारा निर्गत झारखण्ड उपभोक्ता संरक्षण नियमावली-2016 के वैसे प्रावधान जो इस ''झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और शर्ते नियमावली, 2019'' के प्रावधानों के प्रतिकूल हो, वे एतद् द्वारा विलोपित समझे जायेंगे परन्तु इसके अन्य प्रावधान प्रभावी रहेंगे। राज्य सरकार/विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित वैसे नियमावली/संकल्प/ अधिसूचना/ आदेश/पत्र/परिपत्र आदि जो ''झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और शर्ते नियमावली, 2019'' के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं हो, पूर्व की भाँति प्रभावी रहेंगे। पूर्व में हुयी नियुक्तियों के संबंध में भी ''झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और शर्ते नियमावली, 2019'' के मानदेय/ पारिश्रमिक/अवकाश आदि सुविधाओं से संबंधित प्रावधान इसके ''झारखण्ड राजपत्र''/ई-गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। राज्य आयोग/जिला फोरम में अध्यक्ष/सदस्य की नयी नियुक्ति ''झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और शर्ते नियमावली, 2019'' प्रावधानों के आलोक में ही की जायेगी, परन्तु पुरानी नियुक्तियों पर इसके नियुक्ति शर्तों का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18. झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के पूर्णकालिक सदस्यों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु राज्य सरकार पर कुल रू॰ 2,66,54,400/- (रूपये दो करोड़ छियासठ लाख चैवन हजार चार सौ) मात्र का अतिरिक व्यय भार प्रतिवर्ष पड़ेगा।

19. राज्य आयोग एवं जिला फोरम के अध्यक्ष व सदस्य पद पर नियुक्ति हेतु योग्यताएँ एवं इनका कार्यकाल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

20. ''झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और शर्ते नियमावली, 2019'' के गठन से संबंधित विभागीय संलेख ज्ञापांक-2640, दिनांक 03.09.2019 पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 05.09.2019 की बैठक के मद संख्या-13 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 753 -- 50